



राजस्थान सरकार

नेशनल हेल्थ मिशन, राजस्थान

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एन.आर.एच.एम/सी.एच/2014/52

दिनांक: 22.7.2014

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती

"गहन दस्त नियन्त्रण पंखवाडा कार्यक्रम" हेतु जिला स्वास्थ्य समितियों को निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	कार्यक्रम	अधिकतम व्यय सीमा	FMR Code
1	आशा इन्सेन्टीव अ. प्रथम सप्ताह में 0 से 5 वर्ष तक की उम्र वाले सभी घरों में ओ.आर.एस के वितरण के लिए 1 रुपये प्रति ओ.आर.एस पैकेट। ब. द्वितीय सप्ताह स्वास्थ्य केन्द्र पर 0 से 5 वर्ष तक की उम्र वाले सभी बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हुए कुपोषित बच्चों की पहचान करना। आई.वाई.सी. एफ (Infant and Young Child Feeding) हेतु घर-घर जाकर परामर्श देना। यदि आशा अपने क्षेत्र के 80 प्रतिशत घरों में उपरोक्तानुसार सेवाए प्रदान करती है तो इसके लिए प्रति आशा 100/- रुपये दिये जायेंगे।	4,00,000/-	B.1.1.3.5
2	मुद्रण व्यय मॉनिटरिंग फॉर्मेट एवं प्रशिक्षण सामग्री	30,300/-	B.10.3.5
3	ओ.आर.एस. का क्रय हेतु	2,00,000/-	B.16.2.5
4	फिल्ड मॉनिटरिंग हेतु मोबिलिटी सपोर्ट पंखवाडा दिनांक 26 जुलाई से 8 अगस्त तक के लिये प्रति वाहन किराया = 1000/- प्रति दिन डीजल/पेट्रोल का व्यय = 1000/- प्रति दिन प्रति वाहन कुल व्यय 2000 गुणा 10 दिन = 20000/-	20,000/-	A.10.7
5	सभी सरकारी स्कूलों में WASH (Water and Sanitation and Hand Hygiene) सम्बन्धित अभ्यास कराना। (रुपये 1000/- प्रति विद्यालय) (अधिकतम 50 स्कूल)	50,000/-	A.4.5
6	आई.ई.सी. आशा हेतु बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट्स, नुक्कड नाटक इत्यादि	2,00,000/-	B.10.3.5
7	एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला प्राथमिक/ब्लॉक स्तर पर आयोजित करना (रुपये 50/- प्रतिभागी)	1,50,000/-	A.9.11.3

ओ.आर.एस का क्रय अधिकतम व्यय सीमा से अधिक होने पर राज्य स्तर से अनुमति ली जावे।

नोट:- आशा का रिक्त पद होने की स्थिति में निकटवर्ती आशा अथवा आगंनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा सहायिका अथवा साथिन जो भी कार्य करने को मन से इच्छुक हो उन्हें उक्त इन्सेन्टीव दिया जा सकता है।

विशेष शासन सचिव
एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग
राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक: एन.एच.एम/सी.एच/2014/52

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान, जयपुर।

दिनांक: 22.7.2014

2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग एवं मिशन निदेशक एन.एच.एम.
3. निजी सचिव, संयुक्त सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग एवं अति. मिशन निदेशक एन.एच.एम।
4. निजी सहायक, निदेशक (आर.सी.एच) मुख्यालय।
5. निजी सहायक, निदेशक, वित्त, एन.आर.एच.एम मुख्यालय।
6. परियोजना निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान।
7. एस.पी.एम., एन.एच.एम. राजस्थान।
8. परियोजना निदेशक मातृ स्वास्थ्य/शिशु स्वास्थ्य/टीकाकरण/प.क. मुख्यालय।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. मुख्य लेखाधिकारी, आर.सी.एच. मुख्यालय।
12. समस्त आर.सी.एच.ओ
13. समस्त डी.पी.एम एन.एच.एम राजस्थान।
14. डवलपमेन्ट पार्टनर युनिसेफ/युएनएफपीए/निप्पी/अर्थ को सूचनार्थ।
15. सर्वर रूम को ई-मेल हेतु
16. कार्यालय प्रति।


निदेशक(आर.सी.एच)